D:\ADA NEW FOLDER\ADA Store HemRaj\ALL TENDER\H shedual all\H SHEDUAL 2020\H-Shedul Safai 2020.doc

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

टोडरमल मार्ग, अजमेर

E-Mail :- ajmerada@gmail.com
Website :- urban.rajasthan.gov.in/ada

Contact : 0145-2627748
0145-2627749

" एच " शिड्यूल

ठेकेदार का नाम –	निविदा शुल्क – 500रूपये निविदा प्रक्रिया शुल्क–500 रूपये
अनुमानित लागत – 1.25 लाख	निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक 27.10.2020 से 04.11.2020 दोपहर 1.00 बजे तक
अमानत राशि – 1250/–हजार	अमानत राशि व अन्य राशि जमा कराने की तिथि 27.10.2020 से 04.11.2020, दोपहर 12.00 बजे तक
	निविदा खोलने की तिथि: 04.11.2020 दोपहर 02.00 बजे

कार्य का नाम :– अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर कार्यालय एवं प्राधिकरण आवासों के गार्डन रखरखाव एवं मेन्टनेन्स कार्य। वार्षिक दर संविदा (2020–21)

क्र सं	विवरण	दर प्रति माह मय सामग्री व मजदूरी एवं समस्त करों सहित
1.	अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर कार्यालय एवं प्राधिकरण आवासों के गार्डन रखरखाव एवं मेन्टनेन्स कार्य। वार्षिक दर संविदा (2020–21) **नोट:-** उपरोक्त कार्य में संबंधित समस्त सामग्रियां/उपकरण स्वयं संवेदक की होगी, प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध नही कराये जावेगें।	

[UBN- AJD2021SSOB00040]

निविदा दाता के हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी(भण्डार शाखा)
अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

शर्ते:-

1. कार्यालय गार्डन रखरखाव एवं मेन्टनेन्स कार्य में शिथिलता किये जाने की दशा में ठेकेदार के भुगतान में से 1000/- प्रतिमाह के रूप में कटौती की जायेगी।
2. अनुबन्ध अवधि एक वर्ष तक मान्य होगी, लेकिन गार्डन रखरखाव एवं मेन्टनेन्स कार्य संतोषप्रद नहीं होने तथा नियमित रूप से निर्धारित समय तक नहीं होने की स्थिति में अनुबन्ध किसी भी समय एक सप्ताह का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकेगा।
3. धरोहर राशि जमा नहीं होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. अजमेर विकास प्राधिकरण न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है तथा किसी भी निविदा अथवा उसके किसी भाग को बिना कोई कारण बताये रद्द कर सकता है।
5. कार्यादेश जारी करने के पश्चात् सफल निविदादाता को नियमानुसार अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
6. अनुबन्ध के आधार पर कार्य का भुगतान मासिक बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। अत:मासिक रूप से कार्य की दरें प्रस्तुत करनी होंगी।
7. वर्ष के दौरान कार्य छोड़ने देने ,असंतोषप्रद होने पर वर्ष की शेष अवधि में गार्डन रखरखाव एवं मेन्टनेन्स कार्य ठेकेदार की जोखिम लागत पर करवाया जायेगा।
8. संवेदक को प्रतिदिन पांच कर्मचारी आवश्यक रूप से में लगाने होंगे ताकि सम्पूर्ण कार्यालय गार्डन रखरखाव एवं मेन्टनेन्स कार्य सम्पादित हो सके।
9. ठेकेदार को स्वंय / प्रतिनिधि की देखरेख में सम्पूर्ण गार्डन रखरखाव एवं मेन्टनेन्स कार्यकार्य सम्पादित करना होगा।
10. ठेकेदार को लागत की 2.5 प्रतिशत राशि परफोर्मेंस गारन्टी अजमेर विकास प्राधिकरण कोष में जमा करवानी होगी
11. कार्यालय परिसर में कूड़ा एकत्रित करके कार्यालय से बाहर कचरा डिपो में डालना होगा।
12. संवेदक को अजमेर विकास प्राधिकरण की सम्पति से किसी प्रकार का नुकसान होने पर अजमेर विकास प्राधिकरण का दायित्व नहीं होगा

13. श्रम विभाग के समस्त नियमों की पालना संवेदक को करनी होगी |
14. निविदा दाता को अपनी दरें निविदा फॉर्म पर ही देनी होगी | अन्य फॉर्म पर दरें मान्य नहीं होंगी |
20. दरें कार्य विवरण क्र.स. 01. में भरना आवश्यक है।
21. अमानत राशि , निविदा शुल्क व निविदा प्रक्रिया शुल्क जरिये डी.डी./बैंक ड्राफ्ट सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम से स्वीकार होगी।
22. सशर्त निविदा की दरें मान्य नही होगी।
23. ऑनलाईन निविदा अपलोड करते समय समस्या आने पर श्री हर्षित मो0 न0 8005918921, 8764447915 पर सम्पर्क किया जा सकता हैं।
24. दर अनुमोदित होने पर निविदादाता को निर्धारित प्रपत्र में अनुबन्ध निष्पादित करना होगा एवं अनुमानित लागत का 2.5% धरोहर राशि एफ. डी./बैंक गारन्टी के रूप में जमा करवानी होगी | धरोहर राशि कार्य की अनुबन्ध अवधि समाप्ति के पश्चात लौटायी जावेगी | अमानत राशि को धरोहर राशि के विरुद्ध समायोजित किया जा सकेगा |
25. Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012 एवं Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013 के समस्त प्रावधान लागू होंगें|

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रभारी अधिकारी(भण्डार शाखा)
अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

नाम...
पता...
मोबाईल नं..

निविदा दाताओं द्वारा घोषणा

मैं / हम घोषणा करता हूं / करते हैं कि मैंने / हमने जिन मालों / सामानों / उपकरणों / सेवा के लिये निविदा दी है , उनका / उनके मैं / हम बोनाफाइड विनिर्माता / थोक विक्रता /सोल वितरक / प्राधिकृत डीलर / डीलर / सोल विक्रय / विपणन एजेंट हूं |

यदि यह घोषणा असत्य पायी जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही , जो की जा सकती है , पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , मेरी / हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है , रद्द किया जा सकेगा |

निविदादाता के हस्ताक्षर